



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052022-235922
CG-DL-E-21052022-235922

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2207]
No. 2207]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 20, 2022/वैशाख 30, 1944
NEW DELHI, THURSDAY, MAY 20, 2022/VAISAKHA 30, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 मई, 2022

का.आ. 2327(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उपधारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के तत्कालीन सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1118(अ) तारीख 11 मार्च, 2022 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खण्ड-3, उपखण्ड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में NH33 के कि.मी. 46.8 से कि.मी. 88.6 तक के राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण (चौड़ा करने /चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंधन और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी ;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उपधारा (3) के अधीन तारीख "17.03.2022 " को "हिंदुस्तान" और "द पायनियर" दोनों में प्रकाशित किया गया था ;

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है ;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है ;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए ;

और अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर, उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी ।

अनुसूची

झारखंड राज्य के रामगढ़ जिले में NH33 के कि.मी. 46.8 से कि.मी.88.6 के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित विवरण।

राज्य का नाम: झारखंड		जिले का नाम: रामगढ़			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	भूस्वामी हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
1	2	3	4	5	6
	तालुक का नाम: रामगढ़				
	गांव का नाम: कोठार				
1	197	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0130716	रामदयाल कुरमी वगैरह (197)
2	202	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0061514	सुनु महतो वगैरह (202)
3	228	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0192635	जीरात मालिक, शंभु नाथ गोप वगैरह (228)
4	229	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0250911	साधु कुरमी वगैरह (229)
5	230	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0118171	साधु कुरमी वगैरह (230)
6	231	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0801295	अज्ञात (231)
7	234	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0326588	देवला कोयरी (234)

8	235	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0222177	देवला कोयरी वगैरह (235)
9	236	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0509915	देवला कोयरी वगैरह (236)
10	237	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0548361	देवला कोयरी वगैरह (237)
11	71	निजी(रायती)	धान खेत	0.0389721	परना कुरमी वगैरह (71)
12	72	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0184945	पराना कुर्मी & अदर्ज (72)
13	75	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0298665	गिरधारी पान्डेय वगैरह (75)
14	79	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0163901	साधु कुरमी वगैरह (79)
15	80	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0016997	साधु कुरमी वगैरह (80)
16	853	निजी(रैयती)	बारी	0.0212465	वकास्त रैयत, रामनाथ महतो वगैरह (853)
17	939	निजी(रैयती)	पक्का मकान	0.0055443	कोका मुंडा वगैरह (939)
18	940	निजी(रैयती)	पक्का मकान , एस्वेस्टस् पीट् मकान	0.0202347	कोका मुंडा वगैरह (940)
19	941	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0386079	लखीया कुरमी वगैरह (941)
20	942	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0416026	लखीया कुरमी वगैरह (942)
21	943	निजी(रैयती)	धान खेत	0.0266694	लखीया कुरमी वगैरह (943)
22	954	निजी(रैयती)	बारी	0.0056657	लखीया कुरमी वगैरह (954)
23	955	निजी(रैयती)	बारी	0.0236746	लखीया कुरमी वगैरह (955)
24	956	निजी(रैयती)	बारी	0.0129907	लखीया कुरमी वगैरह (956)

25	957	निजी(रैयती)	बारी	0.0042898	लखीया कुरमी वगैरह (957)
26	960	निजी(रैयती)	कुंवा , बारी	0.0023472	अज्ञात (960)
27	961	निजी(रैयती)	मकान , कुंवा	0.0396196	गिरधारी पान्डेय & वगैरह (961)
			कुल	0.6641442	

[फा. सं. NHAI/PIU-RNC/NH-33/KOTHAR/3D]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 20th May, 2022

S.O. 2327(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways S.O. 1118(E) dated 11.03.2022, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highway Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intension to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.), maintenance, management and operation of NH33 on the stretch of land from Km 46.8 to Km 88.6 in the district of RAMGARH in the state of JHARKHAND;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Hindustan” and “The Pioneer” both dated 17.03.2022; under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the Competent Authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Competent Authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from Km. 46.8 to Km 88.6 of NH33 in the district of RAMGARH in the state of JHARKHAND.

State: JHARKHAND District: RAMGARH					
Sr. NO.	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area in Hectare	Name of the Land Owner/Interested Person Part Survey No.:
1	2	3	4	5	6
	Taluk: Ramgarh				
	Village: Kothar				
1	197	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0130716	Ramdayal Kurmi & Others 197
2	202	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0061514	Sunnu Mahto & Others 202
3	228	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0192635	Jeerat Malik, Sahmbhu Nath Gope & Others 228
4	229	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0250911	Sadhu Kurmi & Others 229
5	230	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0118171	Sadhu Kurmi & Others 230
6	231	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0801295	Unknown 231
7	234	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0326588	Dewla Koyari 234
8	235	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0222177	Dewla Koyari & Others 235
9	236	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0509915	Dewla Koyari & Others 236
10	237	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0548361	Dewla Koyari & Others 237
11	71	Private(Rayati)	Dhaan Khet	0.0389721	Parana Kurmi & Others 71
12	72	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0184945	Parana Kurmi & Others 72
13	75	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0298665	Girdhari Pandey & Others 75
14	79	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0163901	Sadhu Kurmi & Others 79
15	80	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0016997	Sadhu Kurmi & Others 80
16	853	Private(Raiyati)	Baari	0.0212465	Bakasat Raiyat, ramnath Mahto & Others 853
17	939	Private(Raiyati)	Pacca Makan	0.0055443	Koka Munda & Others 939
18	940	Private(Raiyati)	Pacca Makan , Asbestos Sheet	0.0202347	Koka Munda & Others 940

			Makan		
19	941	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0386079	Lakhiya Kurmi & Others 941
20	942	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0416026	Lakhiya Kurmi & Others 942
21	943	Private(Raiyati)	Dhaan Khet	0.0266694	Lakhiya Kurmi & Others 943
22	954	Private(Raiyati)	Baari	0.0056657	Lakhiya Kurmi & Others 954
23	955	Private(Raiyati)	Baari	0.0236746	Lakhiya Kurmi & Others 955
24	956	Private(Raiyati)	Baari	0.0129907	Lakhiya Kurmi & Others 956
25	957	Private(Raiyati)	Baari	0.0042898	Lakhiya Kurmi & Others 957
26	960	Private(Raiyati)	Kunwa , Baari	0.0023472	Unknown 960
27	961	Private(Raiyati)	Makan , Kunwa	0.0396196	Girdhari Pandey & Others 961
			TOTAL	0.6641442	

[F. No. NHAI/PIU-RNC/NH-33/KOTHAR/3D]

RAJESH GUPTA, Director